एल० मनोहरन	केरल	मुम्बई
जी०सी० गुप्ता	मध्य प्रदेश	मद्रास
वी०एस० कोकजे	मध्य प्रदेश	राजस्थान
पी०पी० नावलेकर	मध्य प्रदेश	राजस्थान
के०एम० अग्रवाल	मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश
वी०डी० ज्ञानी	मध्य प्रदेश	गुवाहाटी
के०एल० इसरानी	मध्य प्रदेश	उड़ीसा
एस०सी० महापात्र	उड़ीसा	इलाहाबाद
यू०पी० सिंह	पटना	इलाहाबाद
बी० के० राय	पटना	इलाहाबाद
एन०पी० सिंह	पटना	मध्य प्रदेश
जी०आर० मजीथिया	पंजाब और हरियाणा	मुम्बई
जी०एस० सिंवदी	राजस्थान	पंजाब और हरियाणा
एम०आर० कल्ला	राजस्थान	गुजरात
एच०एन० तिलहरी	इलाहाबाद	कर्नाटक
के०एस० बज्ज़ाबतसलाम	मद्रास	कर्नाटक
एल० रथ	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश
जी०सी० भस्का	पटना	कर्नाटक
एम०बी० सिन्हा	पटना	कलकत्ता
डी०जे०जे० राजू	आंध्र प्रदेश	केरल
आई०पी० रंगाराव	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश
वी०एच० भैराविया	गुजरात	मुम्बई
राजेश बलिया	राजस्थान	गुजरात
एम०एफ० सल्दाना	मुम्बई	कर्नाटक
के०जी० शाह	गुजरात	इलाहाबाद
सत्पाल	दिल्ली	पंजाब और हरियाणा

Notaries in Nagpur

7048. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any demand for appointment of Notaries in Nagpur city of Maharashtra under the Notaries Act, 1952;

(b) what is the procedure followed in the appointment of Notaries; and

(c) whether Government propose to review the Notaries Act, 1952?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No, Sir.

(b) Notaries are appointed in terms of the procedure prescribed under the Notaries Act, 1952 and the rules made thereunder.

(c) Yes, Sir.